



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58066

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2428/2026

जितेन्द्र कुमार उर्फ सीटूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंशु चौधरी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 47/2025, धारा 108 बी.एन.एस., थाना- चौबिया, जिला- इटावा में उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में केवल इस तथ्य के कारण नामित किया गया है कि वह मृतक की पत्नी रंकी का चचेरा मामा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सुसाइड नोट, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार होने के पांच दिन बाद एकत्र किया गया है, आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह-अभियुक्त के विरुद्ध अब आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक की अब हिरासत में पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.04.2025 को यानी घटना के लगभग 9 दिन बाद दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के मृतक की पत्नी के साथ संबंध होने की बात कही गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। मृतक को प्रताड़ित करने के केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। विवेचना के दौरान एकत्र किए गए सुसाइड नोट में आवेदक के विरुद्ध मृतक को प्रताड़ित करने या किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सुसाइड नोट में आवेदक के विरुद्ध जो एकमात्र आरोप आया है, वह मृतक की पत्नी का आवेदक के साथ संबंध होने का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, सुसाइड नोट और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री के अवलोकन से, न्यायालय की राय में, प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।
7. मामले के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक - जितेन्द्र कुमार उर्फ सीटू की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभृतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।
(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"